(15)

न्यायालय : तहसीलदार, रानीवाड़ा

सायल		गैर सायल
पटवारी हल्का वणधर	बनाम	बलवंतसिंह पुत्र शोभसिंह राजपूत वणधर

अन्तर्गत आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मु.नं. 113/2019   निर्णय   दिनांक 3-10-2019

पत्रावली आज पेश हुई ।

गैर सायल और हाजिर होकर उनके पुत्र .... उक्त सरकारी भूमि पर अतिकमण करना स्वीकार किया गया। व मौजा वणधर ख. नं. 1548 रकबा 0.15 किस्म .... पर कब्जाकर कास्त करना भी स्वीकार किया गया गैर सायल द्वारा अतिकमण बाबत कोई सबूत या अन्य ठोसदस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया न करना चाहते है अतः गैर सायल की शहादत बंद की जाती है इससे स्पष्ट है कि अतिकमण कर कब्जा कर कास्त कर रहा है।

अतः गैर सायल को राज. भू. राजस्वअधि.1956 की धारा 91 के तहत इस वर्ष का अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश दिया जाता है। गैर सायल दोषी पाया जाने से बतौरजुर्माना दर 6-W का .... गुणा के हिसाब से रूपये 300/- अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र किया जाता है।

भू.अभिलेख निरीक्षक/पटवारी को अतिकमण भूमि पर कास्त को जब्त सरकार कर निलामी हेतु लिखा जावे तथा बेदखली व जुर्माना हेतु पटवारी को अधिकृत किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार रानीवाड़ा

तहसीलदार रानीवाड़ा

रजिस्टर "ब" के पृष्ठ संख्या..........
धारा 91 जुर्माना वसूल मिलायी
रु. 300/- + 230/- की प्रविष्टि
अंकन की गई

सहायक राजस्व लेखाकार
रानीवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shankar Lal Meena
Date: 2019.12.11 18:55:11 IST
Reason: SelfAttested